

# कृषि निदेशालय, बिहार

आ0 संख्या-6/स्था0(गो0)-9/15

/कृ0, पटना, दिनांक

, 2015

## आदेश

श्री नवीन कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से प्रखंड मुख्यालय से गायब रहना/सरकारी कार्य में अभिरूचि नहीं लेने का आरोप जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। श्री कुमार के अनुपस्थित रहने के कारण फसल क्षति एवं कृषि इनपुट अनुदान वितरण का कार्य बाधित हुआ है। प्रतिवेदित आरोपों से यह स्पष्ट होता है कि श्री नवीन कुमार का उक्त आचरण घोर लापरवाही को दर्शाता है एवं यह बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (3) के प्रतिकूल है।

2. उक्त के आलोक में श्री नवीन कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण को बिहार सरकारी (सेवा नियंत्रण एवं अपील), 2005 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, संयुक्त निदेशक कार्यालय (शष्य) सारण, छपरा निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

कृ0, पटना, दिनांक-

, 2015

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण, छपरा/जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, छपरा/ जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण, छपरा/श्री नवीन कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

487 ✓

कृ0 / पटना, दिनांक 6.5, 2015

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।